Circular

Circular No: PFRDA/2026/01/SUP-CRA/01 **Date: 2nd Jan 2026**

To

All Central Recordkeeping Agencies, Points of Presence and Other NPS Stakeholders

Subject: OTP based authentication for paperless on-boarding-reg

In order to facilitate paperless opening of National Pension System (NPS) accounts, the Authority had issued Circular No. PFRDA/2020/23/SUP-CRA/10 dated 15th June 2020, permitting submission of NPS account opening applications through e-Signature or One Time Password (OTP).

2. In partial modification of Circular No PFRDA/2020/23/SUP-CRA/10 dated 15th June 2020, it has been decided that-

Applicants shall authenticate the submission of online NPS registration form through e-sign or through an OTP received on their mobile number. The consent and mandatory declarations applicable for opening of NPS account shall be specifically obtained from the applicant at the end of such online journey through the said e-Sign or mobile OTP authentication.

3. Central Recordkeeping Agencies (CRAs) and Points of Presence (POPs) are advised to align their systems and subscriber onboarding journeys in accordance with the above.

4. This Circular is issued in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 14 read with clause (e) of sub-section (2) of Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

Yours sincerely,

Chief General Manager

परिपत्र

परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2026/01/एसयुपी-सीआरए/01 दिनांक : 02 जनवरी 2026

प्रति
सभी केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, उपस्थिति अस्तित्व तथा अन्य एनपीएस हितधारक

विषय : कागज-रहित ऑन-बोर्डिंग के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन के सम्बन्ध में

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खातों को कागज-रहित प्रक्रिया से खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2020/23/एसयूपी-सीआरए/10 दिनांक 15 जून 2020 में एनपीएस खाता खोलने हेतु किए गए आवेदनों को ई-साइन या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से जमा करने की अनुमति दी गयी थी।

2. दिनांक 15 जून 2020 के परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2020/23/एसयूपी-सीआरए/10 मे आंशिक संशोधन कर, यह निर्णय लिया गया है कि -

आवेदक, ऑनलाइन एनपीएस पंजीकरण फॉर्म जमा करने के लिए ई-साइन के माध्यम से या उनके मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करेंगे। एनपीएस खाता खोलने के लिए सहमति और लागू अनिवार्य घोषणाएं विशेष रूप से उक्त ई-साइन / मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से ऐसी ऑनलाइन प्रक्रिया के अंत में आवेदक से प्राप्त की जाएंगी।

3. केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) और उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी) को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार अपनी प्रणालियों और अभिदाताओं की ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं को संरेखित करें।

4. यह परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

भवदीय,

मुख्य महाप्रबंधक

ई–500, टॉवर–ई, पांचवां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029
दूरभाषः 91–11–40717900, वेबसाइटः www.pfrda.org.in